न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

फूलचन्द-2 बनाम स्वर्ण

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं0 34 वर्ष 2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16-9-20	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आवेदन संख्या 104/2020 बउनवानी स्वर्ण वगैरह बनाम फूलचन्द वगैरह में प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुनकर आदेश दिनांक 07.08.2020 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1156, 1187,1191,1194,1201,1202,1206 वाके मौजा ग्राम सूरजगढ़ के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। हमने अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया इसके अनुसार खसरा नम्बर 1191 फुलचन्द, बाबुलाल, मोहरिया के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1156,1187 नन्दलाल, विजयकुमार राधेश्याम, मोहनलाल, मोनिका, भागीरथ, बाबुलाल, फुलचन्द, प्रमानन्द, पूरणा, कृष्णा, कविता, ओमप्रकाश के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1194,1201,1202,1206, 1443/1203 मीरा देवी के नाम खातेदारी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही होकर अप्रार्थीगण अपीलांट के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना एक पक्षीय रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया है। जिसे प्रथम दृष्टया ही विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा आवेदन संख्या 104/2020 बउनवानी स्वर्ण वगैरह बनाम फूलचन्द वगैरह में प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुनकर आदेश दिनांक 07.08.2020 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1156,1187, 1191, 1194,1201,1202,1206 वाके मौजा ग्राम सूरजगढ़ के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर स्थगन के सन्दर्भ में निर्णय पारित करें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों। (हस्ताक्षर) ([illegible] सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	

मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर